मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2018 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 2018 (फाल्गुन 18, 1939)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल लिमिटेड) की 55 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 60 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(ii) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(iii) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017, एवं

(iv) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017, तथा

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विभिन्न विभागों की निम्न अधिसूचनाएं –

(i) क्र. एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.44, दिनांक 30 नवम्बर, 2017,

(ii) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.39, दिनांक 02 जनवरी,2018,

(iii) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-44, दिनांक 02 जनवरी, 2018,

(iv) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.05, दिनांक 02 जनवरी, 2018,

(v) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 11, दिनांक 02 जनवरी, 2018,

(vi) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.36, दिनांक 02 जनवरी, 2018, तथा

(vii) क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी., दिनांक 04 जनवरी, 2018

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री संजय पाठक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, राज्यमंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम, 2017 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के मौ नगर की पेयजल योजना हेतु कृषकों की खड़ी फसल नष्ट किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन में नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के तहत जल प्रवाह न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल नगर निगम द्वारा झील संरक्षण के नाम पर अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री तरूण भनोत, सदस्य, जबलपुर स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनों की जर्जर हालत होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले में नियमित रूप से विद्युत प्रदाय न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(6) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव क्षेत्र में नहर निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, सतना में मेडिकल कालेज खोले जाने की मांग किये जाने की ओर राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना शहर का गंदा पानी क्वारी नदी में छोड़े जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक, सदस्य, दमोह जिले के हटा एवं पटेरा विकास खंड के जलाशय एवं नहरें क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित पचपनवां, छप्पनवां एवं सत्तावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) इंजी. प्रदीप लारिया,सदस्य, सागर जिले के ग्राम मुहली में मुख्यमंत्री नल-जल योजना को चालू किये जाने,

(2) डॉ. गोविन्द सिंह,सदस्य, भिण्ड जिले के लहार में उप पंजीयक कार्यालय हेतु भवन निर्माण कराये जाने,

(3) श्री लखन पटेल,सदस्य, दमोह जिले के ग्राम सादपुर से चाचई सेमरा तक मार्ग स्वीकृत किये जाने,

(4) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम सिंहरसी में सुधर नदी स्थित सियामरवा आमा घाट पर स्टॉप डेम निर्माण किये जाने,

(5) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के हनुमतखेड़ा पठार से ग्राम कवरयापुरा, कडयापुरा होकर बालगुडा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(6) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम नयापुरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्टॉफ की पदस्थापना किये जाने,

(7) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के जटाल बांध बड़गांव की नहर को ग्राम चीनी तक बढ़ाए जाने,

(8) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम भाटीवाड़ा स्थित ठरका नदी पर स्टापडेम निर्माण किये जाने,

(9) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले में भावांतर योजना में सफेद प्याज को शामिल किये जाने,

(10) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम कैथोरा से सिया भगत के पुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,

(11) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के खातोली मार्ग में पार्वती नदी पर बने पुल को ऊंचा व चौड़ा बनाये जाने,

(12) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम मारोरा से ऊंची बरोद तक सड़क निर्माण किये जाने,

(13) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पंचायत पाती से नैकिन मार्ग के पास बिछिया नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(14) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम केवलारीकलां में 33/11 के.व्ही. का नवीन विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने,

(15) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम करेली कला से रायखेड़ा टोला के मध्य बरहेता नाला पर पुलिया निर्माण किये जाने,

(16) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम अरनिया मानगीर से जमुनियाखुर्द महू नसीराबाद मार्ग (फोरलेन) तक सड़क का निर्माण किये जाने,

(17) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के विकासखण्ड गौरिहार के अंतर्गत हटवा, चन्द्रपुरा, मनवारा एवं कन्देला में बंद पड़ी नलजल योजना को पुन: शुरू किये जाने,

(18) श्री नारायण सिंह पँवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया में एम्बुलेन्स वाहन प्रदान किये जाने,

(19) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज खुलवाये जाने,

(20) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के गसवानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(21) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य, विदिशा जिले के सिरोंज नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्र. 17 एवं 14 में स्थित देशी शराब की दुकानें (कलारी) हटाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

7. अशासकीय संकल्प.

निर्धारित समय

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

60 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए .".

(2) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश में निवासरत गोवारी जाति को मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किया जाए.".

(3) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सर्वश्री शंकरलाल तिवारी , आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि –

(i) सीहोर जिला मुख्यालय पर इंदौर से चलकर हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन क्रमांक 22911/22912 क्षिप्रा एक्सप्रेस का स्टापेज सीहोर स्टेशन पर किया जाए,

(ii) ट्रेन क्रमांक 11039 / 11040 महाराष्ट्र एक्सप्रेस एवं ट्रेन क्रमांक 12105 / 12106 विदर्भ एक्सप्रेस ट्रेन को जिला मुख्यालय बालाघाट से चलाया जाए तथा ट्रेन क्रमांक 18243 / 18244 बिलासपुर भगत की कोठी तथा ट्रेन क्रमांक 18245 / 18246 बिलासपुर बीकानेर का स्टापेज दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के आमगाँव स्टेशन पर किया जाए,

(iii) रीवा से नागपुर के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन क्रमांक 22136 को प्रतिदिन चलाया जाए, तथा

(iv) हरदा रेल्वे स्टेशन पर सभी प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज किया जाए.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 8 मार्च, 2018